



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01102020-222193
CG-DL-E-01102020-222193

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3074]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्टूबर 1, 2020/आश्विन 9, 1942

No. 3074]

NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 1, 2020/ASVINA 9, 1942

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 अक्टूबर, 2020

सं. 35 / 2015-2020

विषय : इस्पात विनिर्माताओं द्वारा अपने सेवा केन्द्रों/वितरकों/विक्रेताओं/स्टॉकयार्डों के माध्यम से इस्पात की आपूर्ति पर शुल्क वापसी की स्कीम का विस्तार करने के संबंध में।

का.आ. 3453(अ).—समय-समय पर यथा संशोधित विदेश व्यापार नीति, 2015-2020 के पैरा 2.01 के साथ पठित, विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 5 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा उपर्युक्त विदेश व्यापार नीति के अध्याय 7 में उप-पैरा 7.07 (iii) के बाद निम्नलिखित को तत्काल प्रभाव से शामिल करती है।

(iv): पैरा 7.02(क) के तहत अग्रिम प्राधिकार-पत्र के मद्दे अपने सेवा केन्द्रों/वितरकों/ विक्रेताओं/स्टॉकयार्डों के माध्यम से इस्पात की आपूर्ति करने वाले इस्पात विनिर्माता, शुल्क वापसी दावे के लिए भी पात्र होंगे बशर्ते कि ऐसी आपूर्तियां समय-समय पर यथा संशोधित इस्पात मंत्रालय के दिनांक 24.06.2020 के का.ज्ञा. के साथ पठित, दिनांक 27.05.2020 के का. ज्ञा. सं. एस-21016/3/2020 व्यापार-कर-भाग (1) के अनुसार की गई हों। तथापि विनिर्माता द्वारा ऐसी आपूर्तियों हेतु बीजक पत्र अग्रिम प्राधिकार-पत्र धारक के नाम प्रस्तुत की जाएंगी। ऐसी आपूर्तियों की डिलीवरी सेवा केन्द्रों/वितरकों/विक्रेताओं/स्टॉकयार्डों के माध्यम से की जा सकती है जो बदले में ऐसी आपूर्तियों का प्रति-संदर्भ देते हुए इस्पात विनिर्माता के नाम पर कर बीजक प्रस्तुत करेंगे।

इस अधिसूचना का प्रभाव: इस्पात विनिर्माता अपने सेवा केन्द्रों/वितरकों/विक्रेताओं/स्टॉकयार्डों के माध्यम से आपूर्ति किए गए इस्पात पर शुल्क वापसी का दावा भी कर सकते हैं।

[फा. सं. 01/92/180/48/एम20/पीसी VI]

अमित यादव, महानिदेशक, विदेश व्यापार
एवं पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department of Commerce)
(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st October, 2020

No. 35/2015-20

Subject : Extending scheme of Duty Drawback on supply of steel by steel manufacturers through their Service Centers/ Distributors/ Dealers/ Stock yards - regarding.

S.O. 3453(E).—In exercise of powers conferred under Section 5 of the Foreign Trade (Development & Regulation) Act, 1992, read with Paragraph 2.01 of the Foreign Trade Policy, 2015-20, as amended from time to time, the Central Government hereby add the following after sub-para 7.07(iii) in Chapter 7 of the above-said Foreign Trade Policy, with immediate effect:

(iv): Steel manufacturers supplying steel against Advance Authorization under Para 7.02 (a), through their Service Centers/ Distributors/ Dealers/ Stock yards, shall also be eligible to claim duty drawback provided such supplies are made in accordance with Ministry of Steel O.M. No. S-21016/3/2020-TRADE-TAX-Part (1) dated 27.5.2020 read with O.M. dated 24.6.2020, as amended from time to time. However, the invoice against such supplies would be raised by the manufacturer on the Advance Authorization holder. Delivery of such supplies can be made through their Service Centers/Distributors/Dealers/Stock yards, who in turn will raise the tax invoice on the steel manufacturer bearing a cross reference for such supplies.

Effect of Notification: Steel manufacturers can also claim Duty Drawback on steel supplied through their Service Centers/ Distributors/ Dealers/ Stock yards.

[F. No. 01/92/180/48/AM20/PCVI]

AMIT YADAV, Director General of Foreign Trade
& Ex-officio Addl. Secy.